प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चिासी'

[5/12/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 3087]

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक/टी.सी.–1/ D-41 ग्वालियर दिनांक 29.09.2016

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)

विषयः– मुख्य शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत लम्बित डी.सी. बिल्स राशि रू. 7,59,00,000/– के भिजवानें बाबत्।

संदर्भः– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक टी.सी.–01/डी.सी.बिल/23 दिनांक 16.08.2016

2. आपका पत्र क्रमांक 507/रा सत्का/2016 भोपाल दिनांक 17.08.2016

महोदय,

कृपया विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसमें राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा आहरित 19 ए.सी. बिल राशि 7,59,00,000/– के लंबित ए.सी. बिल के सामायोजन हेतु, डी.सी. बिल अथवा इस आशय का प्रमाण पत्र कि "ए.सी. बिलों पर आहरित राशियों का उपयोग शासकीय प्रयोजन हेतु हुआ है" को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था, उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय से श्री विनय दीक्षित लेखा अधिकारी स्वे आपके कार्यालय में 17.08.2016 को भेजा गया था। किन्तु चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी तथा उपरोक्त जानकारी को संदर्भित पत्र क्रमांक (ii) द्वारा 15 दिवस में इस कार्यालय को भेजने हेतु आश्वासन भी दिया गया था, किन्तु अभीतक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया शीघ्र भेजवानें की व्यवस्था करें।

भवदीय

उप महालेखाकार (लेखा)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 596 / 2016 / रासका

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

प्रति,

महालेखाकार,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

विषय :— मुख्य शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत लंबित डीसी बिल भिजवाने बाबत।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक टीसी—01 / डी.सी.बिल / 23 दिनांक 16 / 08 / 2016.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

प्राप्त पत्र में राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा मुख्य शीर्ष 2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत वर्ष 2004—05 से 2006—07 की अवधि के कुल 19 एसी बिल्स के माध्यम से आहरित कुल राशि 7,59,00,000 के डीसी बिल्स, प्राप्त न होने के संबंध में लेख करते हुये, कार्यालय में उपलब्ध डीसी बिल्स की प्रतियों की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने या आहरित राशियों का उपयोग, शासकीय प्रयोजन हेतु हुआ है इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करने का लेख किया गया है।

2/ उपरोक्त के क्रम में राज्य सत्कार कार्यालय में उपलब्ध एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से वापस प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण कराया गया। कार्यालयीन अभिलेखों का परीक्षण करने पर उपरोक्त अवधि के कोई भी डीसी बिल्स अथवा उनकी कार्यालयीन प्रति कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण पर तत्कालीन जावक पंजी अनुसार निम्नानुसार डीसी बिल्स महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने का उल्लेख है:—

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	जावक क्रमांक / दिनांक	जावक पंजी में अंकित विवरण
1	2004—05	143 / 12.04.04	डी.सी.बिल ग्वालियर भेजने बाबत्
2	2004—05	304 / 04.11.04	डी.सी.बिल भेजने बाबत
3	2004—05	11 / 05.02.05	डी.सी.बिल भेजने बाबत
4	2005—06	106 / 23.04.05	डी.सी.बिल भेजने बाबत
5	2005—06	203 / 28.07.05	डी.सी.बिल भेजने बाबत
6	2005—06	293 / 13.10.05	डी.सी.बिल
7	2005—06	307 / 17.11.05	डी.सी.बिल
8	2005—06	19 / 19.01.06	डी.सी.बिल भेजने बाबत
9	2006—07	130 / 19.04.06	डी.सी.बिल भेजने बाबत

यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर जॉच की गई थी, जिसमें अपराध प्रमाणित न पाये जाने पर खात्मा लगाया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

आपके संदर्भित पत्र द्वारा चाहे जा रहे डीसी बिल्स संबंधी कोई भी जानकारी राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार लंबित प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग